

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 14/2023  
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/16

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस  
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,  
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री किशन लाल भाटिया पुत्र श्री कमल जी भाटिया निवासी 144, दवेला, पोस्ट कोटडा, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पिन कोड 327032 (ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्रीमती सविता देवी नाई पत्नी श्री किशन लाल भाटिया निवासी 144, दवेला, पोस्ट कोटडा, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पिन कोड 327032 (सहऋणी)
3. श्री विनोद कुमार भाटिया पुत्र श्री किशन लाल भाटिया निवासी दवेला, पोस्ट कोटडा, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पिन कोड 327032 (सहऋणी)
4. श्री हरी शंकर मीणा पुत्र श्री धनेश्वर मीणा निवासी घाटी फला, बडोदा, तहसील आसपुर, जिला झुंगरपुर पिन कोड 314038 (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 13-07-2023

प्राधिकारी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर की ओर से श्री राकेश पाटीदार, अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री किशन लाल भाटिया पुत्र श्री कमल जी भाटिया निवासी 144, दवेला, पोस्ट कोटडा, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पिन कोड 327032 (ऋणी/बंधक कर्ता) 2- श्रीमती सविता देवी नाई पत्नी श्री किशन लाल भाटिया निवासी 144, दवेला, पोस्ट कोटडा, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पिन कोड 327032 (सहऋणी) 3- श्री विनोद कुमार भाटिया पुत्र श्री किशन लाल भाटिया निवासी दवेला, पोस्ट कोटडा, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पिन कोड 327032 (सहऋणी)

4- श्री हरी शंकर मीणा पुत्र श्री धनेश्वर मीणा निवासी घाटी फला, बडोदा, तहसील आसपुर, झुंगरपुर पिन कोड 314038 (जमानती) को दिनांक 04-09-2017 को राशि रुपये 7,00,000 (अक्षरे सात लाख रुपये)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)



मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21-10-2019 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 18-06-2020 को कुल बकाया राशि 755310 रु. (सात लाख पचपन हजार तीन सौ दस रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्वोरीटी के रूप में अपनी अवल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री किशन लाल भाटिया पुत्र कमल जी भाटिया की सम्पत्ति जो पट्टा सं.1298, खसरा सं. 1982, ग्राम पंचायत दवेला, ग्राम कोटडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा पर स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 1392 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिंह का मकान, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में स्वयं की भूमि है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 18-06-2020 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 17.01.2023 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के नोटिस बाद तामील दिनांक 15.02.2023 को प्रस्तुत हुए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से श्री अशोक कुमार गाँधी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ एवं जवाब

हेतु प्रमुख चाहा। अप्रार्थी सं. 4 का नोटिस दिनांक 16.03.2023 को बाद तामील प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता दिनांक 29.03.2023, 13.04.2023 को अनुपस्थित रहे। दिनांक 05.06.2023 को

कलक्टर श्री जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)


न्यायहित में सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 23.06.2023 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं पुनः जवाब हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया गया। अप्रार्थी सं. 4 को पुनः सूचना पत्र जारी कर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया। डाक विभाग की कन्साईनमेंट रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं. 4 के पते पर डाक दिनांक 30.06.2023 को पहुँच चुकी है।

आज दिनांक 13.07.2023 को अप्रार्थीगण सं 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 को एवं उनके अधिवक्ता को तथा अप्रार्थी सं. 4 को बार-बार रुक-रुक कर सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 का जवाब बंद कर समस्त अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगणों 04-09-2017 को राशि रुपया 7,00,000 (अक्षरे सात लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21-10-2019 को अक्रियान्वित आस्ति में दर्जीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 16-06-2020 को कुल बकाया राशि 755310 रु. (सात लाख पचपन हजार तीन सौ दस रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। ऋणी/अप्रार्थीगणों द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 04-09-2017 को राशि रुपया 7,00,000 (अक्षरे सात लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 16-06-2020 को अक्रियान्वित आस्ति में दर्जीकृत किया गया है। वित्तीय संस्था द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक 18-06-2020 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गए, जो कि अप्रार्थीगणों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये तथा समाचार पत्र में भी उक्त नोटिस प्रकाशित किये गये है।

अतः सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया

जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा। तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाडा (राज.)

कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 13-07-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
बासवाड़ा (राज.)  
बासवाड़ा (राज.)